

प्रेस नोट

थाना न्यूरिया पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25000 रुपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त को एक अवैध तमंचा मय जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया।

आज दिनांक 25.09.2022 को गौकशी के अपराधो में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पीलीभीत , श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय पीलीभीत के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर पीलीभीत महोदय के पर्यवेक्षण में मु0अ0सं0 94/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना जहानाबाद का 25000/- रू0 पुरस्कार घोषित वांछित आपराधी जाने आलम पुत्र लल्ला कुरैशी निवासी ग्राम मीरपुर वाहनपुर थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत को मय एक अदद तमन्चा 315 बोर मय 01 कारतूस जिन्दा 315 बोर के साथ टोडरपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना न्यूरिया पर मु0अ0सं0 447/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

अभियुक्त का नाम व पता-

जाने आलम पुत्र लल्ला कुरैशी निवासी ग्राम मीरपुर वाहनपुर थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत
बरामदगी-

एक तमन्चा 315 बोर मय 01 कारतूस जिन्दा 315 बोर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 379/2021 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गजरौला जनपद पीलीभीत
2. मु0अ0सं0 94/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना जहानाबाद जनपद पीलीभीत
3. मु0अ0सं0 388/2021 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना जहानाबाद जनपद पीलीभीत
4. मु0अ0सं0 92/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बीसलपुर जजनपद पीलीभीत
5. मु0अ0सं0 152/2021 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 बीसलपुर जनपद पीलीभीत

6. मु0अ0सं0 156/2021 धारा 307/398/401 भादवि बीसलपुर जनपद पीलीभीत
7. मु00सं0 344/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बीसलपुर जनपद पीलीभीत
8. मु0अ0सं0 363/19 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 बीसलपुर जनपद पीलीभीत
9. मु0अ0सं0 367/19 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 बीसलपुर जनपद पीलीभीत
10. मु0अ0सं0 368/19 धारा 307 भादवि बीसलपुर जनपद पीलीभीत
11. मु0अ0सं0 472/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बीसलपुर जनपद पीलीभीत
12. मु0अ0सं0 470/21 धारा 307 भादवि सुनगढी जनपद पीलीभीत
13. मु0अ0सं0 472/21 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट सुनगढी जनपद पीलीभीत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष रोहित कुमार

व0उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह

उ0नि0 श्री गौतम सिंह

हे0का0 शाहिर हुसैन

का0 अमित पांचाल

का0 अर्जुन सिंह

का0 सौरभ राठी